ई–मेल / डाक
SSR-2017-11

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.3(3)(1) / रोल / निर्वा / 2016 / SSR-2017 / 4804 जयपुर, दिनांक :– 22/12/2016

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः– प्रारूप मतदाता सूची – 2017 में विद्यमान त्रुटियों बाबत।

प्रसंग :– विभाग के समसंख्यक पत्र कमांक 4556 दिनांक 09.12.2016 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 09.12.2016 के बिन्दु संख्या 04 में इस बात का उल्लेख किया गया था कि मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के दौरान सहवन से कुछ मतदाता या तो अन्यत्र भाग में स्थान्तरित हो गये थे अथवा पूर्व वाले भाग में ही रह गये थे, जबकि उन्हें अन्यत्र भाग में स्थानान्तरित किया जाना था। इस संबंध में विभाग ने तत्सयम यह निर्णय लिया था कि उक्त मतदाताओं को उनके सही भाग में पूरक–1 के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा।

विभाग ने उसी कम में ऑन लाईन साफ्टवेयर में एक नया विकल्प उपलब्ध करवाया है जिसका उपयोग कर आप ऐसे मतदाताओं को उनके सही भाग में स्थानान्तरित कर सकते है। यह विकल्प ऑनलाईन ERMS साफ्टवेयर के ERO मोडूयल में "Bulk Form 8A Entry" के नाम से है। इसमें सोर्स भाग संख्या (Source Part No.) में उस भाग संख्या का चयन करना है जहॉ से मतदाताओं को स्थानान्तरित किया जाना है तथा डेसटिनेशन भाग संख्या (Destination Part No.) में उस भाग का चयन किया जाना है, जिसमें उक्त मतदाता स्थानान्तरित होकर जायेंगे। इस सुविधा द्वारा एक बार में अधिकतम 10 मतदाताओं को स्थानान्तरित करने की सुविधा दी गयी है। अतः 10 से अधिक मतदाताओं को स्थानान्तरित करने की स्थिति में इस विकल्प का प्रयोग एक से अधिक बार किया जायेगा। प्रारम्भिक मतदाता कम संख्या में स्थानान्तरित किये जाने वाले प्रथम मतदाता की कम संख्या फीड करनी है तथा अन्तिम मतदाता कम संख्या में अन्तिम मतदाता की कम संख्या फीड करनी है एवं कुल मतदाताओं की संख्या भी दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात् "Show Recods" दबाने पर चयनित मतदाता के नाम स्कीन पर प्रदर्शित हो जायेंगे जिन्हें एक–एक को प्रमाणित करने के बाद ही "UPDATE ON SERVER" विकल्प का चयन करने पर उक्त मतदाता नये भाग में स्थानान्तरित हो पायेंगे।

पूरक –1 में उक्त मतदाता इस प्रकिया से स्वतः ही मूल भाग (Source Part No.) में विलोपन प्रविष्टि के रूप में मुद्रित होंगे तथा अन्य भाग (Destination Part No.) के पूरक –1 में परिवर्धन के रूप में मुद्रित होंगे।

कृपया उक्त दिशा – निर्देश अपने जिले के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना तथा इसकी शत–प्रतिशत पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीया,

(डॉ रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.3(3)(1) / रोल / निर्वा / 2016 / SSR-2017 / जयपुर, दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारीगण निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (IT) निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर, उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।